"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2002—भाद्र 25, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-84/2002/वाक/पांच (103).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक-पांच (78), दिनांक 29-9-97 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 3 में, कालम (3) में (एक) के सामने, कालम (4) तथा (5) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से	1.5 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2002

क्रमांक- एफ -10-84/2002/वाक/पांच (103).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-84/2002/वाक/पांच (103), दिनांक 16-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 16th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-84/2002/CT/V (103).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental Notification No. A-5-14-97-ST-V (78), dated 29-9-1997, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in serial No. 3, against (i) of column (3), column (4) and (5) shall be substituted as follows :—

From the date of publication in gazette 1.5%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.